



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10122021-231767
CG-DL-E-10122021-231767

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4725]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 9, 2021/ अग्रहायण 18, 1943

No. 4725]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 9, 2021/AGRAHAYANA 18, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2021

का.आ. 5099(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3728(अ) तारीख 31 अगस्त 2021, जो भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 3416 तारीख 14 सितम्बर 2021, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में आंध्र प्रदेश राज्य में हासन से चेरलापल्ली (तेलंगाना राज्य) तक एल.पी.जी के परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतिया जनता को तारीख 11 अक्टूबर 2021 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर की उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है की उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) में निहित होगा

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

मंडल : कंबादुर		जिला : अनंतपुरम्		राज्य : आंध्र प्रदेश	
क्रमांक	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल	
				एकड़	सेंट्स
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कंबादुर	मुलाकानुर	450/2	00	17
2			452/2A	00	03
3			452/2B	00	06
4			452/2C	00	01
5			452/2D	00	03
6			461/1	00	03
7			467/2	00	04
8			406	00	01
9			521	00	22
10			510/2	00	73
11			658/1	00	59
12			659	00	05
13			635	00	01
14			637	00	11
15			630/2B	00	03
16			630/2A	00	04
17			626/2	00	02
18			450/3	00	05
19			486/1	00	44
20			519/3	00	41
21			519/7	00	13
22			519/8	00	39
23			519/10	00	26
24			519/9	00	10
25			461/6	00	30
26			461/9	00	15
27			510/1B2	00	40

28			510/31A	00	17
29	कंबादुर	पाल्लूर	216	00	02
30			197/2	00	16
31			197/1	00	08
32			194/8	00	04
33			194/9	00	02
34			194/10	00	12
35			194/5	00	03
36			192	00	08
37			188	00	04
38			32/1	00	02
39			31	00	05
40			10/3	00	02
41			8/1	00	12
42			66/3	00	03
43			66/2B	00	01
44			66/5A	00	02
45			68	00	01
46			70/614	00	01
47			883/5	00	28
48			883/4	00	17
49			889/2	00	09
50			194/2	00	08

मंडल : कुडेरु		जिला : अनंतपुरम्		राज्य : आंध्र प्रदेश	
क्रमांक	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल	
				एकड़	सेंट्स
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कुडेरु	कुडेरु	146/1	00	30
2			136/2	00	04
3			141	00	05
4			139/3	00	17
5			139/2	00	11
6			293	00	03
7			334	00	02
8			332/2	00	08
9			330/2	00	04
10			515	00	13

11			517/1	00	28
12			531/1B	00	02
13			540/2B	00	46
14			540/2A	00	19
15			539	00	11
16			531/6	00	65

[फा. सं.आर-11025(15)/10/2019-ओ.आर-आई/ई-32252]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th November, 2021

S.O. 5099(E).— Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas and S.O.No.3728(E) dated the 31st August 2021, issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India No. 3416 dated the 14th September 2021, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in state of Andhra Pradesh for transportation of LPG, from Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) Pipeline by Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public up to 11 October 2021.

And whereas the competent authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the Right of User in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and according to Section 13, no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government, Competent Authority or any State Government or Corporation for any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Mandal: Kambadur		Dist: Ananthapuramu		State: Andhra Pradesh	
Sl.No.	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No	Area	
				Acres	Cents
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kambadur	Mulakanur	450/2	00	17
2			452/2A	00	03

3			452/2B	00	06
4			452/2C	00	01
5			452/2D	00	03
6			461/1	00	03
7			467/2	00	04
8			406	00	01
9			521	00	22
10			510/2	00	73
11			658/1	00	59
12			659	00	05
13			635	00	01
14			637	00	11
15			630/2B	00	03
16			630/2A	00	04
17			626/2	00	02
18			450/3	00	05
19			486/1	00	44
20			519/3	00	41
21			519/7	00	13
22			519/8	00	39
23			519/10	00	26
24			519/9	00	10
25			461/6	00	30
26			461/9	00	15
27			510/1B2	00	40
28			510/31A	00	17
29	Kambadur	Pallur	216	00	02
30			197/2	00	16
31			197/1	00	08
32			194/8	00	04
33			194/9	00	02
34			194/10	00	12
35			194/5	00	03
36			192	00	08
37			188	00	04
38			32/1	00	02
39			31	00	05
40			10/3	00	02
41			8/1	00	12
42			66/3	00	03
43			66/2B	00	01

44			66/5A	00	02
45			68	00	01
46			70/614	00	01
47			883/5	00	28
48			883/4	00	17
49			889/2	00	09
50			194/2	00	08
Mandal: Kudair		Dist: Ananthapuramu		State: Andhra Pradesh	
Sl.No.	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No	Area	
				Acres	Cents
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kudair	Kudair	146/1	00	30
2			136/2	00	04
3			141	00	05
4			139/3	00	17
5			139/2	00	11
6			293	00	03
7			334	00	02
8			332/2	00	08
9			330/2	00	04
10			515	00	13
11			517/1	00	28
12			531/1B	00	02
13			540/2B	00	46
14			540/2A	00	19
15			539	00	11
16			531/6	00	65

[F.No. R-11025(15)/10/2019-OR-I/E-32252]

P. SOMA KUMAR, Under Secy.